5/5/24

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
पत्रावली मे प्रतिवादीगणों की तामिले
जरिए रजि० A/D से पेश करने हेतु
पूर्व मे भी हिदायत की जा चुकी है,
तथा बार-2 आदेश के बावजूद भी
आदिनांक तक तामिले पेश नही।
अत: वादी का वाद आदेश 9 नियम
5 के तहत खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।